



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार- 249404

संख्या: 113/78/03/डी0आर0(व्यवस्था0)/सेवा-1/2022-2023

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2023

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या: A-1/DR/(M.O)/S-1/2023, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के सापेक्ष "व्यवस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) परीक्षा-2023" हेतु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर मा0 आयोग द्वारा विचार किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम सर्व श्री	प्रार्थनापत्र का दिनांक	प्रार्थनापत्र में किया गया अनुरोध	मा0 आयोग का निर्णय
01	श्री मंजीत सिंह सजवाण	05.09.2023 ई0-मेल के माध्यम से	प्रश्नगत परीक्षा हेतु बी0एच0एम0सी0टी0 डिग्री को मान्य किये जाने के संबंध में।	संगत सेवा नियमावली 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'ख' और 'ग' सेवा नियमावली, 1983) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम-8(19) के आलोक में एवं उक्तानुसार विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तों के क्रम में अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित।
02	समस्त प्रार्थीगण (नाम अंकित नहीं)	05.09.2023 ई0-मेल के माध्यम से	लिखित परीक्षा को अनिवार्य किये जाने एवं साक्षात्कार परीक्षा में अंक वितरण प्रतिशत निर्धारित किये जाने के संबंध में।	संगत सेवा नियमावली 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'ख' और 'ग' सेवा नियमावली, 1983) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम-15 (ख)(3), 15(ख)(4) के आलोक में एवं उक्तानुसार चयन की प्रक्रिया के क्रम में अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित।
03	श्री विनीत कुमार	14.09.2023	बी0एस0सी0 हॉस्पिटैलिटी एण्ड होटल एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री को मान्य किये जाने	संगत सेवा नियमावली 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'ख' और 'ग' सेवा नियमावली, 1983)

			एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि को विस्तारित किये जाने के संबंध में।	(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम-8(19) के आलोक में एवं उक्तानुसार विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तों के क्रम में अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित।
04	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ	15.09.2023	लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किये जाने एवं प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में कैंटरिंग एवं होटल मैनेजमेंट के डिग्रीधारकों अभ्यर्थियों को भी अवसर दिये जाने के संबंध में।	संगत सेवा नियमावली 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'ख' और 'ग' सेवा नियमावली, 1983) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम-8(19) एवं नियम-15 (ख)(3), 15(ख)(4) के आलोक में एवं उक्तानुसार विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं चयन की प्रक्रिया के क्रम में अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित।

**Sd/-**  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।